HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13792/2026
CNR: RJHC020847652026 | URN: CRLMB / 25593U / 2026

Narendra @ Shutar S/o Rameshwar, Aged About 25 Years, R/o Antari, Police Station Nangal, District Mahendragarh, Haryana. (At Present Confined In Sub Jail, Kishangarhbas).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manjeet Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना खैरथल जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101/2026 अपराध अंतर्गत धारा 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 5/27 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम अंकित नहीं है तथा आहत ने जो परचा बयान दिए हैं उसमें प्रार्थी का नाम एवं उसके किसी कृत्य का वर्णन नहीं है। परचा बयान में आहत ने एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परवीन उर्फ पम्मी का नाम लिया है परंतु परवीन ने भी अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किए गए कथन में कहीं भी प्रार्थी/अभियुक्त का मौके पर होना या उसके द्वारा घटना में भाग लेना नहीं कहा है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की कोई पहचान की कार्यवाही नहीं हुई है। किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्रस्तुत नहीं हुई है जिससे उसकी

उपस्थिति घटनास्थल पर प्रमाणित होती हो। उनका तर्क है कि न तो कोई कॉल डिटेल एवं न ही कोई मोबाइल टॉवर की लोकेशन पेश की गई है जिसमें प्रार्थी की उपस्थिति घटनास्थल पर होना बतायी गई हो। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी को केवल खाली कारतूस जिस स्थान पर फेंके गए, उस स्थान की तस्दीक कराकर तथा सहअभियुक्त अनूप से दस हजार रूपये लेकर उसकी कार में बैठकर किसी स्थान पर उतारा, उस स्थान की तस्दीक कराकर अभियुक्त बनाया गया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। उनका यह भी तर्क है कि उसके विरूद्ध पूर्व के लम्बित आठ आपराधिक प्रकरणों में से कुछ में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि सहअभियुक्तगण प्रदीप, अनूप एवं लखन को जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को भी जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त से किए गए अनुसंधान में उसका वाहन में आए तीन अन्य व्यक्तियों प्रमोद, हितेश के साथ शामिल होना बताया गया है। प्रमोद के द्वारा पिस्टल से गोलीबारी करके आहत को गम्भीर उपहतियां कारित की गई हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सूचना देकर खाली कारतूस फेंके गए उस स्थान एवं जहां कार में बैठकर सहअभियुक्त अनूप से दस हजार रूपये लेकर जिस स्थान पर उतारा, उस स्थान की तस्दीक भी की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के आठ इसी प्रकार के आयुध अधिनियम एवं धारा 392, 397 भारतीय दण्ड संहिता, पोक्सो तथा एससी/एसटी एक्ट के गम्भीर प्रकृति के मुकदमे हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त नहीं किया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि सहअभियुक्त प्रमोद पर आहत को गोली मारने का आक्षेप है, आहत को तीन गोलियां लगी भी हैं, प्रार्थी/अभियुक्त का उसके साथ कार में होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा जिस स्थान पर खाली कारतूस फेंके गए एवं जहां सहअभियुक्त अनूप को धनराशि लेकर उतारा, उस स्थान की तस्दीक भी करवाई गई हैं। अभी आहत के कथन विचारण के दौरान लेखबद्ध नहीं हुए हैं। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के भी आठ आपराधिक प्रकरण आयुध अधिनियम एवं

धारा 392, 397 भारतीय दण्ड संहिता, पोक्सो तथा एससी/एसटी एक्ट के गम्भीर प्रकृति के दर्ज होना सामने आया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

85/AJAY KUMAR SINGHAL